संख्या-104/2019/4138जेएल/22-3-19-800(1)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गुरदासपुर, पंजाब।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2019***

विषय- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी-फुलवरिया, थाना-पलिया, जनपद-खीरी, वर्तमान पता-ग्राम व थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरदासपुर, पंजाब को मृतक पुत्र के क्रिया-कर्म हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-99/2019/4076जेलए/22-3-19-800(1)/2016, दिनांक 26-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 26-11-2019 द्वारा सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह को मृतक पुत्र के क्रिया-कर्म हेतु स्वीकृत 07 (सात) दिन की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) को संशोधित करते हुए कुल 21 (इक्कीस) दिन की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-99/2019/4076जेलए/22-3-19-800(1)/2016, दिनांक 26-11-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-104/2019/4138जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासनादेश संख्या-99/2019/4076जेलए/22-3-19-800(1)/2016, दिनांक 26-11-2019 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

3- शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में विचाराधीन क्रिमिनल अपील सं0-2528/2008-तरसेम सिंह बनाम उ0प्र0राज्य के अन्तर्गत क्रिमिनल एप्लीकेशन नं0-117083/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2019 के संदर्भ में।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर, पंजाब।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश से बंदी को अवगत कराते हुए बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बंदी के द्वारा जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में विचाराधीन क्रिमिनल अपील सं0-2528/2008-तरसेम सिंह बनाम उ0प्र0राज्य के अन्तर्गत क्रिमिनल एप्लीकेशन नं0-117083/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2019 के अनुपालन में कृत कार्यवाही से मा0 न्यायालय को अवगत कराने तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in